

Financial Literacy for Small Entrepreneurs (Hindi)

Distributed by



EduMaster



Financial Education Beyond Boundaries

SPREADING AWARENESS TO THE ONES WHO NEED THE MOST

This booklet is distributed by
EduMaster NGO as a part of
Financial Literacy program
conducted across India.



लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए "सभी के लिए एक ही शिक्षा" वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग-अलग समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है।

अस्वीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार

प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018

सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइन: कौशिक रामचंद्रन

टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)



उद्यमियों के लिए

वित्तीय
साक्षरता

वित्तीय
साक्षरता
—
विकास का
रास्ता



**संदेश १:**

संपार्श्विक बिना ऋण – जी हां, यह संभव है!

संदेश २:

ऋण आवेदन प्रक्रिया

संदेश ३:

ऋण आवेदनों के निपटान के लिए बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित समयसीमा

संदेश ४:

उद्यमियों के लिए अनिवार्य रूप से जानने योग्य वित्तीय शब्द

संदेश ५:

सक्रिय रहें और कठिनाई के समय बैंक से संपर्क करें



संदेश 9: संपार्श्विक बिना ऋण- जी हां, यह संभव है!



राज, आपके व्यवसाय को क्या हुआ? आपने पिछले एक सप्ताह से कोई भी बिक्री नहीं की है?

जी महोदय। मेरे ग्राहकों ने पिछले एक सप्ताह से मुझे मुग़तान नहीं किया है और मेरे पास ब्लॉक प्रिंटिंग डिजाइन के लिए ड्रेस सामग्री खरीदने हेतु कोई पैसा नहीं है। मैं अपने ग्राहकों द्वारा मुग़तान किए जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकूँ।



यदि आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, तो आपका मुनाफ़ा कम हो जाएगा।

जी हाँ सर, पर मैं क्या कर सकता हूँ?



क्या आप जानते हैं कि आप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं?

लेकिन सर, ये गारंटर और संपार्श्विक मांगेंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं है।



राज आप चिंता न करें। आप अपने बैंक को सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। सीजीटीएमएसई योजना के तहत आपका बैंक बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्रदान करेगा। कृपया अपने बैंक में जाने से पहले www.cgimse.in और www.dcmsme.gov.in में दी गई जानकारी को देखें।

बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं वेबसाइट पर दी गई जानकारी देखूंगा और ऋण के लिए तुरंत अपने बैंक जाऊंगा।



ऋण गारंटी न्यास

एमएसई क्षेत्र को संपादित और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी की संयुक्त पहल

सीजीटीएमएसई रु.200 लाख तक के लिए कवर की सुविधा प्रदान करेगा।



सीजीटीएमएसई द्वारा चार्ज किए जाने वाले गारंटी और वार्षिक शुल्क का भुगतान उधारकर्ता या उधारदाता सदस्य संस्थान द्वारा किया जाएगा।

एमएसई क्षेत्र को प्रदान किए गए रु.10 लाख तक के ऋण हेतु संपादित जमानत न लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)



गैर-कृषि उद्यमी बैंक से कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण आवश्यकताओं दोनों के लिए जीसीसी के रूप में ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

जीसीसी को स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड (एटीएम / हैंड हेल्ड स्वाइप मशीनों में उपयोग के अनुकूल बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड और उद्यमी की पहचान, संपत्ति और क्रेडिट प्रोफाइल आदि की पर्याप्त जानकारी रखने में सक्षम) के रूप में जारी किया जाता है। जहां कहीं भी खाते डिजिटल नहीं होते हैं, वहाँ जीसीसी को कार्ड / पास बुक या क्रेडिट कार्ड-सह-पास बुक के रूप में जारी किया जा सकता है जिसमें नाम, पता, खाता - धारक की तस्वीर, उधार सीमा का विवरण, वैधता अवधि आदि समाहित होते हैं तथा जो कुछ समय के लिए पहचान पत्र के साथ-साथ नियमित रूप से चल रहे लेनदेन की रिकॉर्डिंग की सुविधा भी प्रदान करता है।

कार्ड की सीमा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर मामले दर मामले पर विचार करने के उपरांत बैंक द्वारा तय की जाती है। जीसीसी के माध्यम से प्राप्त ऋण पर ब्याज दर बैंक द्वारा तय की जाती है। एक उद्यमी के रूप में, आपको यह जानना चाहिए कि बैंक आपके ऋण पर कितना प्रभार लेगा।

संदेश २: ऋण आवेदन प्रक्रिया

चरण
१

अपनी व्यावसायिक योजना और अनुमानित धन की आवश्यकताओं का विवरण तैयार करें



चरण
२

आवेदन हेतु ऋण आवेदन संख्या और पावती प्राप्त करें।

चरण
३

आवेदन पर बैंक / पोर्टल द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें, उनके निर्णय की प्रतीक्षा करें।

चरण
४

यह देखने के लिए कि आपका ऋण स्वीकृत है या अस्वीकृत है, अपने आवेदन को ट्रैक करते रहें।

संदेश ३: ऋण आवेदनों के निपटान के लिए बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित समयसीमा


भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) ने ऐसे ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समयसीमा निर्धारित की है, जो सभी मामलों में पूर्ण है और उपलब्ध कराई गई "जांच सूची" के अनुसार दस्तावेजों से समर्थित है। ऐसे बैंक जो बीसीएसबीआई के सदस्य हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

- रु.5 लाख तक के नए ऋण सीमा या मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि हेतु एमएसई ऋण आवेदन : 2 सप्ताह
- रु.5 लाख से अधिक और रु.25 लाख तक की ऋण सीमा के लिए: 3 सप्ताह

यह कोड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियामक या पर्यवेक्षी निर्देशों को प्रतिस्थापित या अधिक्रमित नहीं करता है तथा बैंक, आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों / निर्देशों का पालन करेंगे।

संदेश ४: उद्यमियों के लिए अनिवार्य रूप से जानने योग्य वित्तीय शब्द

परिदृश्य १: अपनी पूंजी द्वारा वित्तपोषण



सब्जी विक्रेता ₹2000 की अपनी पूंजी से किसान से सब्जियां खरीदता है और इसे 2500 रुपये में बेचता है। वह किराये के रूप में प्रति दिन 100 रुपये और अपने सहायक को प्रति दिन 50 रुपये की मजदूरी देता है। वह सब्जियों को 2500 रुपये में बेचता है। सब्जी विक्रेता के द्वारा किराये के रूप में 100 रुपया और मजदूरी के रूप में दिया गया 50 रुपया "परिचालन खर्च" कहलाता है। सब्जी बेचने हेतु उसे खरीदने में जो 2,000 रुपये लगे हैं, उन्हें "बेचे गए सामान की लागत" कहा जाता है। इस मामले में लाभ की गणना निम्नानुसार की जाती है:


लाभ = बिक्री मूल्य - बेचे गए सामान की लागत - परिचालन खर्च = 2500 - 2000 - 150 = 350 रुपये

परिदृश्य २: स्टॉक को दृष्टिबंधक रखकर नकदी ऋण




मान लीजिए कि सब्जी विक्रेता के पास अपनी आवश्यकतानुसार सारी सब्जी खरीदने या अपने व्यापार के विस्तार हेतु स्वयं की पूंजी नहीं है, तो वह खरीदी जाने वाली सब्जी को जमानत के रूप में रखने की शर्त पर बैंक से ऋण ले सकता है। इस प्रकार के वित्तपोषण को नकदी ऋण कहा जाता है जहां बैंक स्वयं परिसमापनशील जमानत के बदले ऋण देता है।

बैंक ऋण की पूरी रकम को एक साथ निकालने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जब आवश्यक हो या जितना आवश्यक हो उसी अनुरूप पैसे निकालना चाहिए। इस प्रकार की सुविधा पर ब्याज बकाया राशि पर ही लगाया जाता है, न की संपूर्ण ऋण सीमा पर।



परिदृश्य ३: प्राप्य राशियों पर वित्तपोषण



व्यवसाय में, अक्सर उधार देना पड़ता है जिसका अर्थ होता है कि समझौते के अनुसार भविष्य में किसी निश्चित तारीख को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना। जब ऐसा होता है, तो अगले दिन की आपूर्ति के लिए सामान खरीदने हेतु पर्याप्त धन नहीं होता है तथा किराए और मजदूरी जैसे अन्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। भुगतान जो समझौते के अनुसार बाद की तारीख में प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राप्य राशियाँ कहा जाता है और जिस ग्राहक को बाद की तारीख में भुगतान करना है, उसे ऋणी कहा जाता है।

ऐसी स्थिति में, जब बिक्री के बाद पैसा प्राप्त होने में देरी हो रही है, तो व्यवसाय को धन की कमी के कारण बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जी विक्रेता बैंक में जा सकते हैं और प्राप्य राशियों के बदले उधार देने का अनुरोध कर सकते हैं। मार्जिन की कटौती के बाद बैंक प्राप्य राशियों के बदले वित्त प्रदान करता है। ऋण पर ब्याज केवल बकाया ऋण राशि पर लगाया जाता है।

परिदृश्य ४: अचल आस्तियाँ खरीदने और उनको लिए अकाउंटिंग

अब जब मुनाफे में वृद्धि हुई है, तो सब्जी विक्रेता ने अपनी दुकान के लिए एक टेबल और कुर्सी खरीदने का फैसला किया है। उसने ₹.200 का फर्नीचर खरीदा।

लेकिन वह दुविधा में था, कि क्या उसे इस साल के मुनाफे में से ₹.200 को कम करना चाहिए, भले ही वह अगले 10 वर्षों के लिए इस फर्नीचर का इस्तेमाल करेगा, यदि वह ऐसा करता है तो उसका लाभ ₹.200 कम हो जाएगा। उसने सोचा चूंकि फर्नीचर का जीवन 10 साल है अतः वह इस साल लागत का केवल 1/10 भाग ही फर्नीचर के लिए आवंटित करेगा। जब वह ऐसा करता है तो वर्तमान वर्ष में खर्च के रूप में चार्ज की जाने वाली इस राशि को मूल्यह्रास कहा जाता है।

व्यवसाय चलाने के लिए खरीदी गई किसी भी वस्तु, जिसका उपयोग एक वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाना है, को अचल आस्तिक कहा जाता है। अचल आस्तिक का उदाहरण भूमि, बिल्डिंग, मशीनरी, उपकरण आदि हैं।

अचल आस्तिक के जीवन को देखते हुए, प्रति वर्ष अचल आस्तिक के मूल्य को घटाया जाना चाहिए। कम हुई राशि को खर्च के रूप में दिखाकर इस कटौती को पूरा किया जाता है जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है।



परिदृश्य ५: दीर्घावधि ऋण



व्यापार बढ़ने के साथ ही, सब्जी विक्रेता को एहसास हुआ कि उसे ऐसी कई सारी सब्जियाँ फेंकनी पड़ी जिसे ग्राहकों द्वारा नहीं खरीदा गया था क्योंकि यह सब्जियाँ नाशवान होने के कारण खराब हो जाती थी। इससे उसके मुनाफे में कमी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यदि उसके पास एक कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था हो तो वह ताजा सब्जियों के जीवन को बढ़ाने और अपव्यय को कम करने में सक्षम हो सकता है। उसने एक फ्रीजर के बारे में पूछताछ की और जाना कि एक अच्छा फ्रीजर ₹200000 की लागत से आएगा। उसे पता चला कि वह <https://udyamimitra.in> के माध्यम से ऋण का लाभ उठा सकता है और उसने ऋण के लिए आवेदन किया। उसके ऋण को 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया। इस ऋण के साथ उसने फ्रीजर खरीदा और अब वह दो और दिनों के लिए सब्जियों को ताजा रख सकता है। इससे सब्जी विक्रेता के मुनाफे में वृद्धि हुई।

शब्दावली: मियादी ऋण

ऐसे ऋण जो विशिष्ट उद्देश्य हेतु लिए गए हो तथा जिसे लंबी अवधि (एक वर्ष और उससे ऊपर) में चुकाया जाना है उसे “मियादी ऋण” कहते हैं।

व्यापार सारांश

सब्जी विक्रेता ने कुल ₹10 लाख की बिक्री की और उसके सामान की कीमत ₹8 लाख थी जिससे उसे ₹2 लाख का सकल लाभ हुआ। उसने किराया और मजदूरी के रूप में क्रमशः ₹360000 और ₹18,000 का भुगतान किया (एक वर्ष में 360 दिन मानते हुए)। वर्ष के अंत में उसका नकदी ऋण बकाया ₹2000 था। सरलता से समझने के लिए, मान लिया जाए कि वर्ष के प्रत्येक दिन बकाया ₹2000 था, और उसने नकदी ऋण बकाया पर ₹200 का कुल ब्याज दिया। उसने वर्ष के आखिरी दिन ₹6000 मियादी ऋण के लिए चुकाया और तुलन पत्र में बकाया राशि ₹14000 था। मियादी ऋण पर वर्ष के लिए ब्याज के रूप में ₹2000 चार्ज किया गया था। अतः वर्ष भर के लिए दिया गया कुल ब्याज ₹2200 है। वर्ष हेतु फ्रीजर पर ₹2000 और फर्नीचर पर ₹20 का मूल्यहास को खर्च के रूप में दावा किया गया था जिससे मूल्यहास की कुल राशि ₹2020 हो गई। फ्रीजर और फर्नीचर दोनों के लिए जीवन काल 10 वर्ष मानते हुए मूल्यहास की दर 10%। अचल आर्स्ति का निवल मूल्यहास 18180 रुपये (20000 – 2020) है।

लाभ और हानि विवरण	तुलन पत्र
बिक्री	₹1,00,00,000
सीओजीएस	₹8,00,000
सकल लाभ	₹2,00,000
परिचालन खर्च	
किराया	₹36,000
मजदूरी	₹18,000
परिचालन लाभ	₹1,46,000
ब्याज	₹2,200
मूल्यहास	₹2,020
कर पूर्व लाभ	₹1,41,780
	आर्स्तियां
	नकद
	₹1,39,100
	प्राप्य राशियां
	₹2,500
	अचल आर्स्ति
	₹18,180
	कुल संपत्ति
	₹1,59,780
	देयता
	नकदी ऋण
	₹2,000
	मियादी ऋण
	₹14,000
	स्वयं की पूंजी
	₹2,000
	प्रतिधारित लाभ
	₹1,41,780
	कुल दायित्व
	₹1,59,780

संदेश ५: सक्रिय रहें और कठिनाई के समय बैंक से संपर्क करें

क्या आप अपने कर्ज का मुग्तान करने में सक्षम नहीं हैं?

क्या आपका उद्यम कठिनाई में है और आपको विफलता की आशंका है?

क्या पिछले लेखा वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के नेट वर्थ में 50% की सीमा तक के संचित घाटे के कारण आपकी कंपनी के नेट वर्थ में कमी हुई है ?



उपरोक्त परिस्थितियों में, आप बैंक शाखा में या बैंक द्वारा जिला / मंडल / क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

आपके खाते की कठिनाई को दूर करने के लिए बैंक / समिति द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

संशोधन

बैंक / समिति खाते को नियमित करने हेतु आपसे प्रतिबद्धता, विशिष्ट कार्यवाही और समयसीमा की मांग कर सकती है। ये आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर भी विचार कर सकते हैं।

पुनर्रचना

अपने खाते की पुनर्रचना की संभावना पर विचार किया जा सकता है यदि वह व्यवहार्य है और यह सुनिश्चित हो जाए कि आप एक इरादतन चूककर्ता नहीं हैं (अर्थात निधियों का विपथन, धोखाधड़ी या अपकरण न हुआ हो)

वसूली

यदि बैंक / समिति को लगता है कि उक्त दो विकल्प व्यवहार्य नहीं हैं, तो वे आपके उद्यम से ऋण की वसूली शुरू कर सकते हैं।

*वित्तीय शब्दों का सारांश

लाम और हानि विवरण	एक विवरण जो कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। यह एक विशिष्ट अवधि हेतु तैयार किया जाता है (सामान्यतः 01 अप्रैल से 31 मार्च)
तुलन पत्र	एक विवरण जो एक विशिष्ट तारीख को कंपनी की आस्तियों और देयताओं की स्थिति को दर्शाता है।
राजस्व	उत्पादों की बिक्री तथा सेवाओं से प्राप्त राशि। इसमें नकदी तथा उधार दोनों बिक्री शामिल हैं।
बेचे गए सामान की लागत	यह ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पाद के निर्माण अथवा उपार्जन करने में खर्च की गई प्रत्यक्ष सामग्री लागत है।
सकल लाम	सकल लाम राजस्व तथा बेचे गए सामान की लागत के बीच का अंतर है। इसमें परिचालन व्यय जैसे किराया, वेतन आदि शामिल नहीं होता है।
परिचालन व्यय	ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से माल के उत्पादन से नहीं जुड़े होते हैं जैसे किराया, वेतन तथा एसजीएवं (बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय)।
ब्याज	बकाया ऋण राशि पर राशि उधार देने वाले को भुगतान किया गया प्रभार।
मूल्यह्रास	अचल आस्तियों पर उनके जीवन काल के आधार पर लागू वार्षिक प्रभार। मूल्यह्रास की गणना लाम तथा हानि खाते में व्यय के रूप में होती है।
कर पूर्व लाम	सकल लाम - परिचालन खर्च - ब्याज - मूल्यह्रास
आस्तियाँ	चालू आस्तियाँ जैसे नकदी, इन्वेंटरी तथा गैर-चालू आस्तियाँ अथवा अचल आस्तियाँ जैसे प्लांट तथा मशीनरी
देयताएँ	शेयरधारक पूंजी, वर्तमान देयताएँ जैसे लेनदार तथा एक वर्ष के भीतर भुगतान किए जाने वाले अल्पवधि ऋण तथा मीयादी देयताएँ (देयताएँ जिनका भुगतान एक वर्ष के पश्चात किया जाना है) वे भुगतान जो करार के अनुसार भविष्य की किसी तारीख को ग्राहक से प्राप्त किया जाना है।
प्राप्य राशियाँ	चालू आस्तियों में नकदी, खाता प्राप्य राशियाँ तथा वे अन्य तरल आस्तियाँ शामिल हैं जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
अचल आस्तियाँ	वे आस्तियाँ जिसे लंबी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा व्यवसाय की सामान्य अवधि के दौरान बेचा नहीं जाता।
नकदी ऋण	चालू आस्तियों के वित्तपोषण तथा व्यवसाय के दैनिक परिचालन का प्रबंधन करने हेतु कार्यशील पूंजी ऋण
मियादी ऋण	दीर्घकालिक ऋण सामान्यतः अचल आस्तियों को खरीदने हेतु लिया जाता है तथा उस समयावधि में किस्तों में चुकाया जाता है।
शेयर पूंजी	शेयरधारकों की पूंजी जो कंपनी में स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करती है।

एमएसएमई हेतु नई पहल

ट्रेड रिसिबेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस)	क्या आप अपने खरीददारों द्वारा देरी से भुगतान की समस्या का सामना करते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी प्राप्य राशियों को टीआरईडीएस के माध्यम से भुना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसधारी तीन संस्थाएँ, अर्थात् आरएक्सआईएल, माइंड सोल्यूशन तथा ए. टीआरईडीएस, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का परिचालन कर रही हैं।
प्रमाणित ऋण परामर्शदाता	क्या आप व्यवसाय प्रस्ताव को तैयार करने, वित्तीय दस्तावेज आदि बनाने में ज्ञान की कमी के कारण बैंकों में एमएसएमई ऋण हेतु आवेदन करने में हिचकिचा रहे हैं? आप प्रमाणित ऋण सलाहकार (सीसीसी) से संपर्क कर सकते हैं जो सिडबी द्वारा पंजीकृत हैं। इस प्रकार के सलाहकारों की सूची https://udyamimitra.in/Home/CCC पर उपलब्ध है। ये सलाहकार आपको व्यावसायिक निर्णयों में सहायता कर सकते हैं।

*परिभाषाएँ केवल संकेतात्मक प्रकृति की हैं। वे अलग-अलग उद्योग में भिन्न-भिन्न होती हैं तथा व्याख्याओं के अधीन होती हैं।



Registered Office:

12/A , 8th Main, 14th Cross,
Vinayaknagar,
Bangalore-560017

Reach Us:

www.edumasters.org
edumaster24x7@gmail.com
+91-9342235577

TIMELESS, Caring & Ethical.